



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 746]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 875(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनु रूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"271	753	महाराष्ट्र राज्य में डुग्गीपुर के निकट रारासं. 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोरगांव को जोड़ते हुए गोंडिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
272	753ए	महाराष्ट्र राज्य में मलकापुर के निकट रारासं. 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बुलधाना, चिखली, डयुलगांव राजा, जालना को जोड़ते हुए औरंगाबाद के निकट रारा 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

273	753 बी	महाराष्ट्र राज्य में शिवेली के निकट रारासं. 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर निजामपुर, छडवेल, नंदुरबार, तालोडा, अक्कलकुरा को जोड़ते हुए और गुजरात राज्य में देदियापाडा को जोड़ते हुए नेतरांग के निकट रारा 56 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
274	166 ए	महाराष्ट्र राज्य में वडखल पर रारा 66 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और अलीबाग पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-21)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O 875 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“271	753	The highway starting from its junction with NH-53 near Duggipar connecting Goregaon, and terminating at Gondia in the State of Maharashtra.
272	753A	The highway starting from its junction with NH-53 near Malkapur connecting Buldhana, Chikhli, Deulgaon Raja, Jalna and terminating near Aurangabad on NH-52 in the State of Maharashtra.
273	753B	The highway starting from its junction with NH-53 near Shevali connecting Nizampur, Chhadvel, Nundurbar, Taloda, Akkalkura in the State of Maharashtra, Dediapada and terminating at Netrang on NH-56 in the State of Gujarat.
274	166A	The highway starting from Vadkhal on NH-66 and terminating at Alibag in the State of Maharashtra.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-21)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.